कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)

//आदेश //

क्रमांक 564/दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 17/05/2020

माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को दिनांक 18/05/2020 से Regular/Normal functioning का आदेश दिया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश क्रमांक 47/(Mis.)/I-7-3/2020 Bilaspur Dated 07 May, 2020 के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 18/05/2020 से 12/06/2020 को कार्यदिवस घोषित किया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 एवं आदेश क्रमांक 47/(Mis.)/I-7-3/2020 Bilaspur Dated 07 May, 2020 की प्रति जिला अधिवक्ता संघ, जांजगीर–चांपा के अध्यक्ष/सचिव को प्रेषित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 का अक्षरशः पालन किया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 के तहत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर–चांपा में लंबित प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के लिये निर्देश भी जारी किये हैं। अतः उक्त आदेश क्रमांक

50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 के तहत जारी निर्देश B(1)(D) के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1– प्रत्येक न्यायालय में न्यायिक कार्यो के सुचारू संपादन हेतु चक्रानुक्रम आधार पर प्रति सप्ताह 01 रीडर(सिविल या क्रिमिनल रीडर में से कोई एक), 01 साक्ष्य लेखक या स्टेनोग्राफर(दोनों मे से कोई एक) एवं 01 भृत्य की ड्यूटी संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपनी सुविधानुसार नियत करेंगे। लेकिन कोई भी कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जावेगा,बल्कि यदि किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी कर्मचारी की सहायता की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उनके मोबाईल फोन पर सूचना दी जावेगी, तब कर्मचारी को तत्काल ही अपने कार्य पर उपस्थित होना होगा। यदि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाता है, तो उसका उस सम्पूर्ण सप्ताह के लिये अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

इस संबंध में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय के न्यायिक कार्य का निष्पादन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये सामाजिक दूरी बनाते हुये करेंगे।

2– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश कमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 के अनुसार किसी भी पक्षकार को, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे आदेशित नहीं किया गया है, न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होगी।

3– जो भी अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे, वे मास्क लगाकर ही प्रवेश करेंगे और यदि किसी ने भी बिना मास्क के प्रवेश किया, तो उसे भविष्य में न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4– इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के मुख्य कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी की सुविधानुसार प्रति सप्ताह चक्रानुक्रम में मात्र 03 कर्मचारी ही उपस्थित होंगे।

5– इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के विभिन्न अनुभाग जैसे–प्रतिलिपि अनुभाग, अभिलेखागार, मालखाना, लाइब्रेरी आदि अनुभागों में प्रति सप्ताह चक्रानुक्रम में 01–01 कर्मचारी की ड्यूटी नियत की जावेगी, जो विभिन्न न्यायालयों के सुचारू कार्य निष्पादन हेतु प्रातः 11.00 से 02.00 बजे के मध्य कार्य करेंगे। प्रतिलिपि अनुभाग में प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रातः 11.00 से 02.00 बजे के मध्य ही लिये जायेंगे और उसके पश्चात प्रतिलिपियों का वितरण भी प्रातः 11.00 से 02.00 बजे के मध्य ही किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी समय में न तो प्रतिलिपि आवेदन लिया जावेगा और न ही प्रतिलिपि वितरित की जावेगी।

6– कम्प्यूटर अनुभाग के कर्मचारीगण श्री अमित गुरूदेव सहायक प्रोग्रामर के निर्देश पर कार्य करेंगे।

7– जो भी अधिवक्ता अपने प्रकरणों में न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे, उनकी थर्मल स्केनिंग जिला अधिवक्ता संघ, जांजगीर–चांपा द्वारा सुझाये गये 01 चैनल गेट पर की जावेगी।

8– न्यायालय परिसर में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार किसी भी फोटोकापियर/टाईपिस्ट को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इसी प्रकार न्यायालय परिसर में स्थित

केंटिन भी बंद रहेगा। इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 की कंडिका–13 में दिये गये निर्देश का कड़ाई वे पालन किया जावेगा।

9– चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 16 May, 2020 के तहत दिनांक 18/05/2020 से न्यायालयों की Regular/Normal functioning प्रारंभ हो गयी है अतः दिनांक 18/05/2020 से 12/06/2020 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा द्वारा कार्य वितरण के संबंध में जारी संशोधित विविध आदेश क्रमांक 08/एक–11–1/06, जांजगीर, दिनांक 18/07/2019, संशोधित विविध आदेश क्रमांक 17/एक–11–1/06, जांजगीर, दिनांक 16/12/2019 एवं संशोधित विविध आदेश क्रमांक 18/एक–11–1/06, जांजगीर, दिनांक 16/12/2019 प्रभावशील होगा।

10– किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर–चांपा के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुदीप नाग के मोबाईल फोन नम्बर 8889843171 अथवा कार्यालय के टेलीफोन नम्बर– 07817–224088 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त
आदेश क्रमांक 50/(Mis.)/II-14-1/2020
Dated 16 May, 2020 की प्रति.

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपिः
पृ0क्र0 566/A /दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 17/05/2020

1– विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी) जांजगीर–चांपा।

2– प्रथम/द्वितीय/तृतीय,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती।

3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0) जांजगीर।

4– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो(एफ0टी0एस0सी0) सक्ती।

5– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा

6– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 जांजगीर/चांपा/सक्ती/डभरा/ जैजैपुर/मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

7– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जांजगीर/अकलतरा/चांपा/सक्ती/ डभरा/ जैजैपुर/मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

8– अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, जांजगीर/चांपा/अकलतरा/पामगढ/ नवागढ/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा।

9– शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जांजगीर/अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर/सक्ती

10– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जांजगीर

11– अधीक्षक जिला जेल जांजगीर/उपजेल सक्ती।

12– प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा

17.5.20

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)